निपुण तवारी और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 7778/2022)

20 अक्टूबर, 2022

[डॉ0 धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली, जे.जे.]

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान: मेडिकल प्रवेश- महाराष्ट्र में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम- सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण- महाराष्ट्र- सरकार द्वारा 21.09.2022 को प्रवेश विवरणिका जारी करना- ब्रोशर के खंड 7.2 में प्रावधान है कि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी; और सेवारत कोटा आरक्षण के लिए, सरकार द्वारा समय-समय पर किया गया कोई भी परिवर्तन लागू होगा- इसके बाद, सरकारी संकल्प दिनांक 26.09.2022 जारी किया गया, जिसमें सरकारी अस्पतालों में सेवारत अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में 20% सीटों की सीमा तक सेवा आरक्षण प्रदान किया गया- अपीलकर्ताओं द्वारा रिट याचिका में मांग की गई है कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष -2022-23 के लिए सरकार और निगम द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में 50% राज्य कोटा के लिए स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता है- उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी- अपील पर, ब्रोशर के प्रावधानों ने छात्रों को विशेष रूप से नोटिस दिया कि सेवा आरक्षण ऐसे प्रस्तावों का पालन करेगा जो समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं- इस प्रकार, ब्रोशर एफ की परिकल्पना करता है कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति में बदलाव हो सकता है और उसी के लिए खाते- परीक्षा के नियम स्थिर बने हुए हैं और सरकारी संकल्प दिनांक 26.09.2022 ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है- चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन मानदंड नहीं बदले गए- सरकारी संकल्प दिनांक 26.09.2022 महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी ब्रोशर के अनुरूप है - इस प्रकार, उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - स्नातकोत्तर चिकित्सा विनियम, 2000।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: **1.1** राज्य द्वारा जारी ब्रोशर का खंड 7.2 सरकार का प्रावधान है कि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। खंड 7.2 में यह भी प्रावधान है कि " सेवारत कोटा आरक्षण के लिए, सरकार द्वारा समय-समय पर किया गया कोई भी परिवर्तन भी लागू होगा"। एमसीआई विनियमों के खंड 9(IV) और (VII) के संदर्भ में खंड 7.2 द्वारा सेवारत उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त वरीयता(महत्व) भी निर्धारित किया गया था। खंड 8.16.1 निर्धारित करता है कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए पात्रता 19 मार्च 2019 के सरकारी संकल्प या समय-समय पर जारी किसी अन्य सरकारी संकल्प के अनुसार होगी। दूरस्थ और/या कठिन क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 10% अंकों तक के प्रोत्साहन अंक, जो NEET-PG 2022 में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30% के अधीन थे, ब्रोशर के खंड 8.17 में निर्धारित किए गए थे। [पैरा 28][605-डी-एफ]

1.2 दिनांक 26 सितंबर 2022 के सरकारी संकल्प का खंड 3 जो सेवारत उम्मीदवारों के लिए राज्य कोटे की 20% सीटों का आरक्षण निर्धारित करता है, यह भी स्पष्ट करता है कि सामान्य श्रेणी में प्रवेश चाहने वाले सेवारत उम्मीदवार को NEET परीक्षा में प्राप्त अंक के अलावा कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, एक सेवारत उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी में सीट का विकल्प चुनता है, वह अंकों के किसी भी वरीयता का हकदार नहीं होगा। इसलिए, अंकों का वरीयता उन उम्मीदवारों के संबंध में निर्धारित किया गया है जो 20% कोटा में एक सीट की इच्छा रखते हैं जो सेवारत उम्मीदवारों के लिए अलग रखा गया है। [पैरा 29][605-एफ-एच]

1.3 अपीलकर्ताओं की यह दलील कि 26 सितंबर 2022 का सरकारी संकल्प वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए इस आधार पर लागू नहीं होना चाहिए कि इसने 'प्रवेश के नियमों' को बीच में बदल दिया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से अपीलकर्ताओं की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि 26 सितंबर 2022 के सरकारी संकल्प की वैधता को कोई चुनौती नहीं थी, ऐसी स्थिति में न्यायालय के लिए इसे पढ़ने की अनुमति नहीं है ताकि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए इसकी प्रयोज्यता को बाहर किया जा सके। [पैरा 30][606-ए-बी]

1.4 सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के मामले में ब्रोशर में कोई विशेष निषेध नहीं था। इसके विपरीत, महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी ब्रोशर के खंड 7.2 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि कोटा में आरक्षण समय-समय पर जारी किए गए सरकारी संकल्पों का पालन करेगा। ***तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन*** के मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद, सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। 24 जनवरी 2022 के एक आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच दृष्टिकोण में अंतर था। इस पृष्ठभूमि में, डिवीजन बेंच ने, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही 1 फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दी। जाहिर है, राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में थी, जो अंततः 26 सितंबर 2022 के सरकारी संकल्प में परिलक्षित हुई। इस प्रकार, निर्णय के पहले भाग में इंगित तथ्यों की पृष्ठभूमि से पता चलता है कि महाराष्ट्र राज्य में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण था जब तक कि *दिनेश सिंह चौहान* के मामले में तीन जजों की बेंच के निर्णय के परिणामस्वरूप स्थिति में बदलाव नहीं आया। ***तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन*** के मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की वैधता बहाल कर दी गई है। ब्रोशर में प्रावधान है कि सेवारत कोटा आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए किसी भी बदलाव का पालन करेगा, उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। [पैरा 31][606-सी-जी]

1.5 ब्रोशर के प्रावधानों ने छात्रों को विशेष रूप से सूचित किया है कि सेवा आरक्षण ऐसे प्रस्तावों का पालन करेगा जो समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं। इसलिए, इस मुद्दे को तथ्यों की विशिष्ट पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए क्योंकि वे स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण से संबंधित हैं। [पैरा 32][607-ए-बी]

1.6 महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी ब्रोशर का खंड 7.2 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति समय-समय पर सरकार द्वारा किए गए किसी भी बदलाव के अधीन है। इसलिए, ब्रोशर में यह परिकल्पना की गई है कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति और उसी के हिसाब से बदलाव हो सकता है।

परीक्षा के नियम स्थिर बने हुए हैं और 26 सितंबर 2022 के सरकारी संकल्प ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। [पैरा 33][607-ई-एफ]

1.7 चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन मानदंड नहीं बदले गए। इसके विपरीत, 26 सितंबर 2022 का सरकारी संकल्प महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी ब्रोशर के अनुरूप है। [पैरा 34][607-एफ-जी; 608-ए]

1.8 महाराष्ट्र राज्य में 1416 स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री सीटों में से 282 सीटें सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 268 उम्मीदवारों ने सेवारत आरक्षण के लिए आवेदन करने के लिए अपने विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। काउंसलिंग के पहले दौर में, कट ऑफ से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले 69 छात्रों को पात्र माना गया था। 52 उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है। [पैरा 35][608-बी-सी]

1.9 भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से 17 अक्टूबर 2022 को एक संसूचना जारी किया है जिसमें सभी श्रेणियों में NEET-PG 2022 में कट-ऑफ अंकों में 25 प्रतिशत की कमी करने का प्रावधान है। उपरोक्त निर्णय के बाद, यह संभावना है कि अतिरिक्त उम्मीदवार काउंसलिंग के बाद के दौर में भाग लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा, ब्रोशर के खंड 7.10 को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि यदि सेवारत कोटा के लिए प्रदान की गई कोई भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें 'गैर-सेवारत' श्रेणी के उम्मीदवारों को वितरित किया जाएगा। NEET-PG 2022 मेरिट सूची। [पैरा 36][608-डी-ई]

1.10 उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 37][608-ई-एफ]

तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ **(2021) 6 SCC 568: [2020] 8 SCR 583 - अनुसरण किया गया।**

डॉ. प्रेरित शर्मा बनाम डॉ. बिलु बी एस **(2022) 2 SCC 751**; *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दिनेश सिंह चौहान* **(2016) 9 SCC 749: [2016] 6 SCR 571**; *डॉ. सूर्यकांत तेजराव लोधे बनाम महाराष्ट्र राज्य, नील ऑरेलियो नून्स (ओबीसी आरक्षण) बनाम भारत संघ* **(2022) 4 SCC 1**; *ए. पी. लोक सेवा आयोग बनाम बी. स्वप्ना* **(2005) 4 SCC 154: [2005] 2 SCR 991;** *महाराष्ट्र एसआरटीसी बनाम राजेंद्र भीमराव मांडवे* **(2001) 10 SCC 51** *का उल्लेख है।*

वाद-विधि संदर्भ

[2016] 6 SCR 571	**का पैरा 18 (ii)**	**निर्देशित**
[2020] 8 SCR 583	**का पैरा 24, 31**	**पालन किया**
[2005] 2 SCR 991	**का पैरा 34**	**निर्देशित**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2022 की सिविल अपील संख्या 7778।

2022 की रिट याचिका संख्या 11845 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.10.2022 से।

आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता, माधव भाटिया, आशीष चौधरी, आदित्य पांडे, योगेश शर्मा, रोहित अमित स्थालेकर, अधिवक्ता। **अपीलकर्ता के लिए**

संजय आर हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, गोविंद जी, ओमनाकुट्टन केके, अधिवक्ता। **प्रतिवादी के लिए**

न्यायालय का फैसला **डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,** जे. द्वारा सुनाया गया।

1. छुट्टी स्वीकृत.
2. यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 14 अक्टूबर 2022 के फैसले से उत्पन्न हुई है।
3. यह मुद्दा महाराष्ट्र राज्य द्वारा स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए 20% सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
4. 15 जनवरी 2022 को, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने NEET PG-2022 परीक्षा के लिए अपना सूचना बुलेटिन जारी किया। प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 मार्च 2022 थी। परीक्षा 21 मई 2022 को आयोजित की गई थी। परिणाम 1 जून 2022 को घोषित किए गए थे।
5. 21 सितंबर 2022 को, महाराष्ट्र सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश आयोजित करने का कार्यक्रम निर्धारित करते हुए एक नोटिस जारी किया। शेड्यूल नीचे निकाला गया है:-

क्र.सं.	गतिविधि	तारीख	दिन
1.	नीट PG के लिए सूचना ब्रोशर का प्रकाशन-2022	21/09/2022	
2.	ऑनलाइन पंजीकरण NEET PG (एमडी/एमएस/डिप्लोमा)	21/09/2022 सायं 05:00 बजे के बाद से 26/09/2022 सायं 05:00 तक	6 दिन
3.	ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से पंजीकरण शुल्क (गैर-वापसीयोग्य- रु.3000/-) और सुरक्षा जमा (जैसा लागू हो) का भुगतान	21/09/2022 से 26/09/2022 रात्रि 11:59 तक	6 दिन
4.	सफल भुगतान के बाद सभी आवश्यक रंगीन स्कैन मूल दस्तावेजों को पीडीएफ में अपलोड करना	21/09/2022 से 26/09/2022 रात्रि 11:59 तक	6 दिन
5.	पंजीकृत उम्मीदवारों की सामान्य सूची का प्रकाशन (सेवारत, एनआरआई, पीडब्ल्यूडी सहित)	27/09/2022 सायं 05:00 बजे के बाद से	
6.	NEET-PG-2022 की सामान्य अनंतिम राज्य मेरिट सूची का प्रकाशन	28/09/2022 सायं 05:00 बजे के बाद से	
7.	सीट मैट्रिक्स का प्रकाशन	28/09/2022 दोपहर 12:00 बजे के बाद से	
8.	पात्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन वरीयता/विकल्प फॉर्म भरने की प्रक्रिया	28/09/2022 से 02/10/2022 सायं 05:00 तक	5 दिन
9.	प्रथम चयन सूची की घोषणा	03/10/2022 सायं 08:00 बजे के बाद से	
10	फ़िजिकल जॉइनिंग और सभी मूल दस्तावेजों और अपेक्षित शुल्क के साथ डीडी/चेक द्वारा स्टेटस रिटेंशन फॉर्म को से भरना।	04/10/2022 से 08/10/2022 सायं 05:30 तक	5 दिन
ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र के लिए विंडो बंद कर दी जाएगी			

6. 21 सितंबर 2022 को, महाराष्ट्र सरकार (अपने सीईटी सेल के माध्यम से) ने प्रवेश के लिए एक विवरणिका जारी की। खंड 7.2 इस प्रकार प्रदान करता है:

7.2 मेडिकल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटें 50% अखिल भारतीय कोटा और शेष 50% राज्य कोटा के रूप में वितरित की जाएंगी। राज्य कोटा से, राज्य सरकार/निगम से स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की सेवाओं में सेवारत उम्मीदवारों के लिए, जिन्होंने दूरदराज और/या कठिन क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्षों तक सेवा की है, आरक्षित होंगी । सेवारत कोटा आरक्षण के लिए, समय-समय पर सरकार द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य होगा। सेवारत उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त वरीयता एनएमसी/तत्कालीन एमसीआई के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल रेगुलेशन 2000 के खंड 9 (IV) और (VII) के अनुसार और सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 19 मार्च 2019 के संकल्प संख्या MMO-2019/C.R. 165/सेवा-3 के अनुसार और इस संबंध में समय-समय पर जारी G.R. के अनुसार दिया जाएगा । सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों में से 5% सीटें विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए अनुलग्नक "डी" के अनुसार आरक्षित होंगी। उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों में से 1% अनाथ श्रेणी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित हैं। अनुलग्नक "सी" में उल्लिखित अनुसार उपलब्ध राज्य कोटा सीटों (अखिल भारतीय कोटा को छोड़कर) पर संवैधानिक आरक्षण लागू होगा। समानांतर (क्षैतिज) आरक्षण सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में सेवारत कोटा सीटों, पीडब्ल्यूडी कोटा सीटों और अनाथ कोटा सीटों के लिए लागू होगा।

7. खंड 7.2 इंगित करता है कि राज्य सरकार और नगर निगमों के मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें राज्य सरकार के उन सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, जिन्होंने दूरस्थ और/या में कम से कम तीन वर्षों तक सेवा की हो। कठिन क्षेत्र. खंड में यह भी परिकल्पना की गई है कि सेवारत कोटा/ आरक्षण के लिए, सरकार द्वारा समय-समय पर किया गया कोई भी परिवर्तन लागू होगा। इसके अलावा, यह निर्दिष्ट किया गया था कि सेवारत जी उम्मीदवारों के लिए वरीयता पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल रेगुलेशन 2000 के विनियम (9) (IV) और (VII) के अनुसार

उपलब्ध होगा। उसी ब्रोशर का क्लॉज 7.10 (21 सितंबर 2022 को जारी किया गया) यह प्रावधानित करता है कि-

"7.10 यदि विशेष संवैधानिक आरक्षित श्रेणी में राज्य सेवारत कोटे के लिए आरक्षित सीटें, सेवारत उम्मीदवारों के बीच नियमों के अनुसार अंतर-संबंध के बाद उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती हैं, तो शेष सीट को इसमें शामिल किया जाएगा। संबंधित संवैधानिक आरक्षित श्रेणी और ये सीटें NEET-PG 2022 मेरिट सूची का उपयोग करके गैर-सेवारत उम्मीदवारों को वितरित की जाएंगी।

8. सेवारत उम्मीदवारों के लिए पात्रता ब्रोशर के खंड 8.16 में निर्दिष्ट की गई थी, जिसे नीचे दिया गया है:

"8.16 सेवारत अभ्यर्थियों के लिए पात्रता:

8.16.1 सेवारत उम्मीदवारों के लिए पात्रता महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेवारत चिकित्सा अधिकारियों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सरकारी संकल्प संख्या MMO-2019/C.R.165/सेवा-3, दिनांक 19 मार्च 2019 और या समय-समय पर जारी किसी भी सरकारी संकल्प (अनुलग्नक-यू) के अनुसार।

8.16.2 सेवारत कोटा सीट का दावा करने के इच्छुक सेवारत उम्मीदवार को प्रवेश प्रक्रिया के लिए अपने प्रतिष्ठान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

8.16.3 सेवा कोटा में उम्मीदवार को NEET-PG-2022 के लिए उपस्थित होना चाहिए, और सक्षम प्राधिकारी, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

9. ब्रोशर के खंड 8.17 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"8.17 स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों का चयन उनकी NEET-PG योग्यता के आधार पर किया जाएगा। हालाँकि, एनएमसी/तत्कालीन एमसीआईपीजी विनियमन 2000 के खंड 9 (IV) और (VII) के अनुसार, सरकारी/सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत पात्र सेवारत उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने में, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूरस्थ और/या कठिन क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त अंकों के 10% तक की दर से NEET-PG 2022 में प्राप्त अंकों का अधिकतम 30% तक प्रोत्साहन के रूप में वरीयता दी जा सकती है। दूरस्थ और कठिन

क्षेत्रों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। समय - समय पर इस संबंध में निदेशालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।"

10. खंड 8.17 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि सेवारत उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण करते समय, दूरस्थ और/या कठिन क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त अंकों के 10% की दर से NEET-PG 2022 में प्राप्त अंकों में से अधिकतम 30% अंकों तक प्रोत्साहन के रूप में अंकों का वरीयता प्रदान किया जाएगा। दूरस्थ और कठिन क्षेत्र वे होंगे जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

11. 21 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र राज्य में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ। पंजीकरण विंडो 21 और 26 सितंबर 2022 के बीच खुली रहनी थी। 26 सितंबर 2022 को, महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी संकल्प जारी किया जिसमें सेवारत अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में 20% सीटों की सीमा तक सेवा आरक्षण प्रदान किया गया। सरकारी अस्पतालों में. सरकारी प्रस्ताव का औचित्य इसकी प्रस्तावना में बताया गया था:

"वर्तमान में, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की अधिकांश सीटों को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में बदल दिया गया है। इसलिए, यह बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण से सेवारत चिकित्सा अधिकारियों को सीधे लाभ नहीं मिल रहा है। सेवा चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पतालों में सेवारत हैं और यदि वे स्नातकोत्तर डिग्री के लिए आरक्षित हैं, तो उनमें से उपलब्ध विशेषज्ञों के माध्यम से राज्य की आम जनता को रोगी देखभाल उपलब्ध होगी। उक्त मामले को ध्यान में रखते हुए, संशोधित मुद्दे सरकारी/नगरपालिका मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवारत कोटा के संबंध में आदेश सरकार के विचाराधीन था।"

12. सरकार का निर्णय निम्नलिखित शब्दों में था:

1. शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से, राज्य के सरकारी/नगरपालिका मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवारत उम्मीदवारों के लिए 20% सीटें आरक्षित करने के लिए सरकार की मंजूरी दी जा रही है।

2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सेवारत कोटा में प्रवेश के लिए प्राप्त किए जाने वाले अंक और कोटा प्रवेश के लिए सेवारत उम्मीदवारों के चयन के विवरण ("पढ़ें" संख्या 2 और 3) लोक स्वास्थ्य विभाग के सरकारी निर्णयों में ऊपर उल्लिखित हैं या उस विभाग के माध्यम से समय-समय पर जारी किया जाता है। आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3. निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य के सरकारी/नगरपालिका मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवारत उम्मीदवारों के लिए राज्य कोटा की 20% सीटें आरक्षित करने के लिए सरकार की मंजूरी दी जा रही है:

1) उक्त आरक्षण कोटा के अलावा, सामान्य वर्ग से प्रवेश चाहने वाले सेवारत उम्मीदवारों को NEET परीक्षा में अंकों के अलावा कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेगा।

2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद सेवारत उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के तहत प्रदान की जाने वाली सेवा के अलावा, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक वर्ष की सामाजिक जिम्मेदारी सेवा भी प्रदान करनी होगी।

13. आगामी वर्ष के लिए सीट मैट्रिक्स राज्य सरकार द्वारा 30 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। काउंसलिंग का पहला दौर 3 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ और उसके बाद 4 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच अनंतिम प्रवेश हुए।

14. अपीलकर्ताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। 26 सितंबर 2022 के सरकारी संकल्प को कोई चुनौती नहीं थी। अपीलकर्ताओं का कहना था कि इस प्रस्ताव को सरकारी और निगम द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में 50% राज्य कोटे के लिए स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यह बात खंड (ए) और (बी) से स्पष्ट है रिट याचिका के पैराग्राफ 12 में मांगी गई राहतें नीचे दी गई हैं:

(a) यह मानें और घोषित करें कि 26 सितंबर 2022 के लागू सरकारी संकल्प के प्रावधानों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से किसी भी सरकारी या निगम मेडिकल कॉलेज में 50% राज्य कोटे से स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए उचित रिट और/या आदेश जारी करें।

(b) प्रतिवादी प्राधिकारियों को सरकारी संकल्प दिनांक 26 सितंबर 2022 के अनुसार सेवारत उम्मीदवारों के पक्ष में 20% आरक्षण लागू किए बिना शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए 50% राज्य कोटा के संबंध में स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दें।

15. उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2022 के अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया।

16. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद ग्रोवर और महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ धर्माधिकारी को सुना है। न्यायालय को वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेगड़े और हस्तक्षेप करने वाले सेवारत उम्मीदवारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सुधांशु चौधरी द्वारा भी सहायता प्रदान की गई है, जिन्हें काउंसलिंग के पहले दौर के बाद अस्थायी रूप से प्रवेश दिया गया है।

17. मुख्यतः, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद ग्रोवर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जिस चुनौती को संबोधित किया गया है वह दोतरफा है। सबसे पहले, यह प्रस्तुत किया गया है कि 26 सितंबर 2022 का सरकारी संकल्प, जिसमें सेवारत उम्मीदवारों के लिए 20% आरक्षण प्रदान किया गया था, शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद जारी किया गया था, और इसलिए यह उस पर लागू नहीं होगा। इस संदर्भ में, इस दलील के समर्थन में ***'डॉ. प्रेरित शर्मा बनाम डॉ. बिलु बी एस'***[1] मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रवेश के लिए अंतर्निहित सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता है। दूसरे, यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार ने सेवारत आरक्षण प्रदान करते समय कोई डेटा एकत्र नहीं किया है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र राज्य में स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 1416 सीटों में से 282 सीटें उपलब्ध कराई गई थीं लेकिन सेवारत कोटा के लिए लेकिन मई 2022 में आयोजित NEET-PG के लिए केवल 69 सेवारत उम्मीदवार उपस्थित हुए, जिनमें से 52 को प्रवेश के लिए पात्र माना गया है। प्रवेश दिये जाने हेतु इस परिकल्पना पर, यह प्रस्तुत किया

---

[1] (2022) 2 SCC 751

गया है कि यह स्पष्ट है कि 20% का आरक्षण अनुपातहीन रूप से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप पहले दौर में 282 सीटों में से केवल 52 सीटें भरी गई हैं।

18. दूसरी ओर, महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ धर्माधिकारी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि:

(i) मध्यावधि प्रवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी विवरणिका में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण ऐसे संकल्पों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

(ii) इसे इस तथ्य की पृष्ठभूमि में माना जाना चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य में 2017 से पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवारत आरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन तीन न्यायाधीशों की पीठ के न्यायालय के **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **दिनेश सिंह चौहान**[2] के फैसले के परिणामस्वरूप इसे बंद कर दिया गया था। हालाँकि, **तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन** बनाम **भारत संघ**[3] मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण बहाल कर दिया गया था; और

(iii) बीच में नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए सेवारत आरक्षण को संरेखित कर दिया है, जैसा कि पहले प्रदान किया गया था, आरक्षण की मात्रा को 30% से घटाकर 20% कर दिया गया है।

19. श्री संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री सुधांशु चौधरी, हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इस तथ्य पर भरोसा किया है कि काउंसलिंग के पहले दौर में प्रवेश पहले ही दिए जा चुके हैं और जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया था, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि 26 सितंबर 2022 के सरकारी संकल्प की वैधता को कोई चुनौती नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय से यह आग्रह किया जाता है कि सरकारी संकल्प के वैधता को चुनौती

---

[2] (2016) 9 SCC 749
[3] (2021) 6 SCC 568

के अभाव में यह मानना उचित था कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए इसकी प्रयोज्यता को बाहर करने के लिए प्रावधान को पढ़ना उसके लिए खुला नहीं था।

20. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 16 अगस्त 2016 को, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने **दिनेश सिंह चौहान** (सुप्रा) में कहा था कि स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण 2000 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए विनियमों के विनियम 9 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

21. **दिनेश सिंह चौहान** मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय की सत्यता संविधान पीठ के संदर्भ का विषय बन गई। 31 अगस्त 2020 को दिया गया संविधान पीठ का फैसला **तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन** (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट की गई। संविधान पीठ ने, अन्य बातों के अलावा, यह माना कि:

(i) एमसीआई विनियम 2000 का विनियम 9 स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले सेवारत उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करके आरक्षण करने के लिए राज्यों की क्षमता को प्रभावित या प्रावधान नहीं करता है; और

(ii) प्रत्येक राज्य, अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के अपने संवैधानिक दायित्व के संदर्भ में, मौजूदा सेवारत डॉक्टरों की योग्यता को उन्नत करने के उद्देश्य से सेवारत कोटा निर्धारित करने का हकदार था।

22. न्यायमूर्ति एम.आर. शाह द्वारा दिए गए **तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन** (सुप्रा) में संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 23.5 और 23.8 में जो निष्कर्ष तैयार किए गए हैं, वे नीचे दिए गए हैं: -

"23.5) यह कि एमसीआई विनियम, 2000 का विनियम 9 आरक्षण से संबंधित नहीं है और/या आरक्षण के लिए प्रावधान नहीं करता है और/या आरक्षण करने और/या विशेष प्रावधान बनाने के लिए संबंधित राज्यों की विधायी क्षमता और अधिकार को प्रभावित नहीं करता है जैसे कि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले सेवारत उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करना और इसलिए संबंधित राज्यों को सूची III प्रविष्टि 25 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले सेवारत उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने का अधिकार और/या विधायी क्षमता है।

23.8) यह कि राज्य के पास सूची III प्रविष्टि 25 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले सेवारत उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने की विधायी क्षमता और/या अधिकार है। हालाँकि, यह देखा गया है नीति में यह प्रावधान होना चाहिए कि संबंधित सेवारत डॉक्टरों द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद ऐसे अलग चैनल के माध्यम से डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया जाए और डिग्री प्राप्त करने के बाद कम से कम पांच साल तक ग्रामीण, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य की सेवा की जाए। डिप्लोमा और इसके लिए वे ऐसी राशि के लिए बांड निष्पादित करेंगे जिसे संबंधित राज्य उपयुक्त और उचित समझें;"

23. महाराष्ट्र राज्य में, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए कुल सीटों की 30% की सीमा तक सेवारत कोटा था। दिनेश सिंह चौहान (सुप्रा) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के मद्देनजर स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवारत आरक्षण की वैधता संदेह के घेरे में आ गई। हालाँकि, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण जारी रहा क्योंकि उस संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान एमसीआई विनियम 2000 के विनियम 9 (VII) में शामिल था।

24. यह मुद्दा कि क्या सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवारत आरक्षण प्रदान करना राज्य सरकार के लिए खुला है, **तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन** में संविधान पीठ के फैसले में आधिकारिक तौर पर तय किया गया था (सुप्रा), जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य ने अपने सरकारी संकल्प दिनांक 26 सितंबर 2022 द्वारा सेवारत आरक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है।

25. हमारे सामने मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा आग्रह किए गए आधार पर चालू शैक्षणिक वर्ष पर लागू नहीं होने के सरकारी संकल्प को मानना होगा, अर्थात्, कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रवेश को लेकर नियमों में बदलाव हो गया है।

26. प्रवेश को नियंत्रित करने वाले ब्रोशर के प्रासंगिक खंडों पर विचार करने से पहले, ***'डॉ. प्रेरित शर्मा'*** (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर ध्यान देना आवश्यक

होगा, जिस पर अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया है। उस मामले में, मुद्दा सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा पेश किए जाने वाले सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए तमिलनाडु राज्य द्वारा 50% सीटें आरक्षित करने से संबंधित था। NEET- SS 2020 के लिए सूचना बुलेटिन 3 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। परीक्षाएं 15 सितंबर 2020 के लिए निर्धारित की गई थीं और परिणाम 25 सितंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। प्रवेश प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले बुलेटिन में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि सुपर-स्पेशियलिटी डीएम/एमसीएच पाठ्यक्रमों के लिए कोई आरक्षण **नहीं** होगा। इस न्यायालय के निर्णय के निम्नलिखित उद्धरण में इस पर जोर दिया गया है:

> "15.... बुलेटिन के बिंदु 5.16 में यह स्पष्ट किया गया था कि सुपरस्पेशलिटी डीएम/एमसीएच पाठ्यक्रमों के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं होगा।"

न्यायालय ने कहा कि सुपरस्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग उस चरण में स्थगित कर दी गई थी, जब तमिलनाडु सरकार ने 7 नवंबर 2020 को एक संकल्प जारी किया था, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50% सुपर-स्पेशियलिटी सीटें सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई थीं।

> "18. सुपरस्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रक्रिया 3-8-2020 को शुरू हुई और सभी प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि सुपरस्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं होगा। तमिलनाडु राज्य द्वारा जारी सरकारी आदेश 7-11-2020 को सेवारत डॉक्टरों के लिए 50% सीटें आरक्षित करना मेधावी डॉक्टरों के हितों के लिए हानिकारक होगा क्योंकि सुपरस्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में तमिलनाडु राज्य में उपलब्ध सीटों में से 50% सीटें उनके लिए उपलब्ध नहीं होंगी।"

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि माना जाता है कि 2016 के बाद से सेवारत डॉक्टरों के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया था और चूंकि प्रवेश प्रक्रिया "अंतिम चरण में" थी, इसलिए उस वर्ष के लिए सेवारत डॉक्टरों के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

27. महाराष्ट्र राज्य में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए सेवारत डॉक्टरों के आरक्षण से संबंधित तथ्यों पर अब ध्यान देना होगा।

28. राज्य सरकार द्वारा जारी ब्रोशर के खंड 7.2 में प्रावधान है कि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। खंड 7.2 में यह भी प्रावधान है कि "सेवारत कोटा आरक्षण के लिए, सरकार द्वारा समय-समय पर किया गया कोई भी परिवर्तन लागू होगा"। एमसीआई विनियमों के खंड 9(IV) और (VII) के संदर्भ में खंड 7.2 द्वारा सेवारत उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त वरीयता भी निर्धारित किया गया था। खंड 8.16.1 निर्धारित करता है कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए पात्रता 19 मार्च 2019 के सरकारी संकल्प या समय-समय पर जारी किसी अन्य सरकारी संकल्प के अनुसार होगी। दूरस्थ और/या कठिन क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 10% अंकों तक के प्रोत्साहन अंक, जो NEET-PG 2022 में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30% के अधीन थे, ब्रोशर के खंड 8.17 में निर्धारित किए गए थे।

29. 26 सितंबर 2022 के सरकारी संकल्प का खंड 3, जो सेवारत उम्मीदवारों के लिए राज्य कोटा सीटों का 20% आरक्षण निर्धारित करता है, यह भी स्पष्ट करता है कि सामान्य श्रेणी में प्रवेश चाहने वाले सेवारत उम्मीदवार को NEET परीक्षा में प्राप्त अंकों के अलावा अन्य कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, एक सेवारत उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी में सीट का विकल्प चुनता है, वह अंकों के किसी भी वरीयता का हकदार नहीं होगा। इसलिए, अंकों का वेटेज उन उम्मीदवारों के संबंध में निर्धारित किया गया है जो 20% कोटा में एक सीट की इच्छा रखते हैं जो सेवारत उम्मीदवारों के लिए अलग रखा गया है।

30. अपीलकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि 26 सितंबर 2022 के सरकारी संकल्प को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए इस आधार पर लागू नहीं किया जाना चाहिए कि इसने 'नियमों' को बीच में बदल दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से अपीलकर्ताओं की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि 26 सितंबर 2022 के सरकारी संकल्प की वैधता को कोई चुनौती नहीं थी, ऐसी स्थिति में, न्यायालय के लिए इसे पढ़ने की अनुमति नहीं है ताकि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए इसकी प्रयोज्यता को बाहर किया जा सके।

31. उच्च न्यायालय के उपरोक्त तर्क के अलावा, यह स्पष्ट है कि उस स्थिति के विपरीत, जिसके परिणामस्वरूप ***'डॉ. प्रेरित शर्मा'*** (सुप्रा) में वर्तमान मामले में न्यायालय के इस निर्णय में सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के मामले में ब्रोशर में कोई विशेष निषेध नहीं था। इसके विपरीत, महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी ब्रोशर के खंड 7.2 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि कोटा में आरक्षण समय-समय पर जारी किए गए सरकारी संकल्पों का पालन करेगा। संविधान पीठ के फैसले के बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय[4] के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। 24 जनवरी 2022 के एक आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच दृष्टिकोण में अंतर था। इस पृष्ठभूमि में, डिवीजन बेंच ने, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही 1 फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दी। जाहिर है, राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में थी, जो अंततः सरकारी संकल्प दिनांक 26 सितंबर 2022 के रूप में परिलक्षित हुई। । इस प्रकार, निर्णय के पहले भाग में इंगित तथ्यों की पृष्ठभूमि से पता चलता है कि स्थिति आने तक महाराष्ट्र राज्य में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण था। **दिनेश सिंह चौहान** (सुप्रा) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के परिणामस्वरूप बदला जाएगा। **तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन** (सुप्रा) में संविधान पीठ के फैसले के बाद डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की वैधता बहाल कर दी गई है। ब्रोशर में प्रावधान है कि सेवारत कोटा आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए किसी भी बदलाव का पालन करेगा, उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

32. ब्रोशर के प्रावधानों ने विशेष रूप से छात्रों को एक नोटिस दिया है कि सेवारत आरक्षण ऐसे प्रस्तावों का पालन करेगा जो समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं। इसलिए, हमारे सामने मौजूद मुद्दे को तथ्यों की विशिष्ट पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए क्योंकि वे स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों के लिए महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण से संबंधित हैं।

---

[4] सिविल रिट याचिका संख्या 7855 2021 डॉ. सूर्यकांत तेजराव लोधे बनाम महाराष्ट्र राज्य

33. **नील ऑरेलियो नून्स (ओबीसी आरक्षण)** बनाम **भारत संघ**[5] मामले में, इस न्यायालय को इसी तरह के तथ्यों का सामना करना पड़ा था। उस स्थिति में, परीक्षा के लिए पंजीकरण 18 अप्रैल 2021 को बंद हो गया। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला एक नोटिस 29 जुलाई 2021 को जारी किया गया था। इस नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि परीक्षा के नियमों को केवल परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि पहले ही बदला जा सकता है। इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ (जिनमें से हम में से एक, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, एक हिस्सा थे) ने फैसला सुनाया कि परीक्षा शुरू होने के बाद लगाए गए नोटिस ने परीक्षा के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया क्योंकि उस मामले में सूचना बुलेटिन में निर्दिष्ट किया गया था कि लागू आरक्षण का विवरण परामर्श प्राधिकारी द्वारा एक अलग हैंडबुक के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा। ऐसा होने पर, जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए पंजीकरण करना चाहते थे, उन्हें पता था कि सीट मैट्रिक्स/आरक्षण के संबंध में विवरण बाद के चरण में उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार, वर्तमान मामले में, महाराष्ट्र राज्य द्वारा जारी ब्रोशर का खंड 7.2 स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति समय-समय पर सरकार द्वारा किए गए किसी भी बदलाव के अधीन है। इसलिए, ब्रोशर में यह परिकल्पना की गई है कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति उसी के हिसाब से बदलाव हो सकता है। परीक्षा के नियम स्थिर बने हुए हैं और 26 सितंबर 2022 के सरकारी संकल्प ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद परीक्षा के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है।

34. अपीलकर्ताओं ने इस प्रस्ताव के लिए **एपी लोक सेवा आयोग** बनाम **बी. स्वप्ना**[6] और **महाराष्ट्र एसआरटीसी** बनाम **राजेंद्र भीमराव मांडवे**[7] में इस न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद निर्धारित चयन मानदंड नहीं बदले जा सकते हैं। हालाँकि, ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, हम पाते हैं कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जी चयन मानदंड नहीं बदले गए थे। इसके विपरीत, सरकारी संकल्प दिनांक 26.चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चयन मानदंड नहीं बदले गए। इसके विपरीत, 26 सितंबर 2022 का सरकारी संकल्प महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी ब्रोशर

---

[5] (2022) 4 एससीसी 1

[6] (2005) 4 एससीसी 154

[7] (2001) 10 एससीसी 51

के अनुरूप है। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत किसी भी निर्णय से उनके मामले में कोई सहायता नहीं मिलती है।

35. उच्च न्यायालय के फैसले में जो तथ्य सामने रखे गए हैं और जो हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, वे बताते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में 1416 स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री सीटों में से 282 सीटें सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 268 उम्मीदवारों ने सेवारत आरक्षण के लिए आवेदन करने के लिए अपने विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। काउंसलिंग के पहले दौर में, कट ऑफ से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले 69 छात्रों को पात्र माना गया था। 52 उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर चिकित्सा कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है।

36. भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से 17 अक्टूबर 2022 को एक संचार जारी किया है जिसमें सभी श्रेणियों में NEET-PG 2022 में कट-ऑफ अंकों में 25 प्रतिशत की कमी करने का प्रावधान है। उपरोक्त निर्णय के बाद, यह संभावना है कि अतिरिक्त उम्मीदवार काउंसलिंग के बाद के दौर में भाग लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा, ब्रोशर के खंड 7.10 को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि यदि सेवारत कोटा के लिए प्रदान की गई कोई भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें NEET-PG 2022 मेरिट सूची के 'गैर-सेवारत' श्रेणी के उम्मीदवारों को वितरित किया जाएगा।

37. उपरोक्त कारणों से, जो ऊपर बताए गए हैं, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

38. तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

39. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

निधि जैन अपील खारिज।
(सहायक: शाश्वत जैन, एलसीआरए)